पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
गोरखपुर -273012

Office of General Manager
(Vigilance)
Gorakhpur - 273012

No. V9/2021/06/00337/PC

Dated: 17.08.2021

प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजी
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर ।

विषयः- वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (AMC) में पद्धति सुधार ।

एक सतर्कता जाँच में पाया गया कि पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मण्डल में IPS के अनुरक्षण/विफलता ठीक करने हेतु किये गये वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (AMC) में अनुरक्षण कार्य हेतु Routine Periodical Maintenance को Once in a month लिखा जा रहा है। जिसके कारण फर्म द्वारा क्रमवार दो महीने में किये गये अनुरक्षण में कुछ मामलों में 40 से 58 दिन का अंतर पाया गया है। जो कि उपकरणों के Best Performance के लिए उचित नहीं है। करारनामा में Once in a month लिखने के कारण फर्म प्रत्येक 30 दिन बाद उपकरण के अनुरक्षण हेतु बाध्य नहीं होता है। साथ ही करारनामा में दिए गए पेनाल्टी का प्रावधान "Periodical visit के तहत प्रत्येक महीने में एक बार उपकरण का अनुरक्षण एवं Proper Functioning का निरीक्षण अवश्य होना चाहिए। यदि प्रत्येक महीने में निर्धारित तिथि से 07 दिन के बाद तक ऐसा नहीं होता है तो 240/- रुपए प्रति दिन प्रति सेट पेनाल्टी का प्रावधान है" के अनुसार पेनाल्टी नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि Once in a month लिखने के कारण कोई निर्धारित तिथि नहीं हो सकती है।

उपरोक्त को देखते हुए सतर्कता विभाग द्वारा सलाह दी जाती है कि सभी तरह के उपकरणों के अनुरक्षण/विफलता ठीक करने हेतु किये गये वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (AMC) में अनुरक्षण कार्य हेतु Routine Periodical Maintenance को Once in a month के स्थान पर 30 दिन लिखा जाए। साथ ही यह भी सुझाव दिया जाता है कि पिछले अनुरक्षण से 30 दिन + 07 दिन के अन्दर अगले महीने में अगर फर्म द्वारा पुनः Periodical Maintenance नहीं किया जाता है तो पेनाल्टी की गणना 37 दिन की अपेक्षा 30 दिन के बाद से ही किया जाए। जिससे सामान्य परिस्थितियों में 07 दिन का Extra Margin फर्म द्वारा दुरुपयोग न किया जाय तथा इस तथ्य को करारनामे में स्पष्ट एवं विस्तार पूर्ण तरीके से अंकित किया जाय। कृपया इस विषय में कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराएं ।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

वैभव

Digitally signed by
Vaibhav Srivastava
Date: 2021.08.17
13:24:29 +05'30'

(वैभव श्रीवास्तव)
उपमुसताधि/सिगनल एवं दूरसंचार
कृते महाप्रबन्धक /सर्तकता